

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक सिविरा-मा/सी-५/स्थानान्तरण/भूगोल /2019-20/1-575 दिनांक-29.09.2019 के तहत वंदना यादव, व्याख्याता, भूगोल राउमायि, मुरलीपुरा, जयपुर का स्थानान्तरण राउमायि चम्पानेरी अजमेर किया गया। वंदना यादव ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जोधपुर में अपील संख्या 497 /2019 वंदना यादव द्वारा सरकार दायर की गई।

अपील संख्या 497 /2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.10.19 द्वारा अपीलार्थी वंदना यादव को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यायेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी वंदना यादव द्वारा अभ्यायेदन प्रस्तुत कर स्वयं के पति राजकीय सेवा जयपुर में कार्यरत होने एवं छोटे बच्चे होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमायि विहारीपुरा जयपुर एवं राउमायि भानपुरकला, जयपुर की परियेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुरुदं प्रत्यारोपण, हृदय शत्र्य विकित्सा, विघ्वा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागना से प्राप्त परियेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है। अपीलार्थी का प्रकरण इनमें से किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता। अपीलार्थी द्वारा दिनांक : 04.11.2019 को स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण किया जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं परं भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मददेनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई माग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यायेदन एतद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।

(नथमल डिलेल)

आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:-18/11/2019

क्रमांक: सिविरा/माध्य/संस्था/सी-५/अभ्यायेदन/18-20|459

- प्रतिलिपि निम्न लो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्ययाही हेतु
 - 01. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
 - 02. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
 - 03. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
 - 04. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा, अजमेर को सूचनार्थ।
 - 05. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जोधपुर।
 - 06. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
 - 07. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को योगानीय पैशेज़ेइट पर अपलोड हेतु।
 - 08. संबंधित प्राधानाचार्य।
 - 09. संबंधित कार्मिक।
 - 10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर